पत्रांकः— 04/NULM-65/2016/2020/न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषकः—

चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
कटिहार नगर निगम ।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
औरंगाबाद नगर परिषद।

पटना, दिनांकः 05/09/17

विषयः— **सर्वेक्षित फुटपाथ विक्रेताओं को शिविर के माध्यम से पहचान–पत्र वितरण नहीं किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।**

प्रसंग— **विभागीय पत्रांक— 1687 दिनांक—14.07.2017, पत्रांक—1439 दिनांक— 20.06.2017 एवं पत्रांक— 1303 दिनांक—05.06.2017**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के सन्दर्भ में कहना है कि नगर निकाय स्तर पर भौतिक रूप से सत्यापित किये गये सर्वेक्षित फुटपाथ विक्रेताओं को दिनांक– 01.07.2017 को शिविर के माध्यम से पहचान–पत्र वितरित किये जाने का निदेश दिया गया था। परन्तु आपके द्वारा निर्देशित कार्य नहीं किये जाने की सूचना है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक– 1687 दिनांक– 14.07.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी परन्तु स्पष्टीकरण का जबाव अदिनांक अप्राप्त है। ससमय शिविर आयोजित नहीं किया जाना और स्पष्टीकरण का जबाव नहीं देना आदेश की अवहेलना एवं सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

अतः इस पत्र के माध्यम से पुनः निदेश दिया जाता है कि नगर निकायों में माह में दो बार आयोजित होने वाली शिविर में फुटपाथ विक्रेताओं को पहचान–पत्र वितरण किया जाय तथा टाउन वेंडिंग कमिटि (TVC) की बैठक नियमित रूप से कराया जाय। साथ ही वर्णित निदेशों का अनुपालन नहीं करने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करें।

विश्वासभाजन
4/9/2017

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।